आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी(b) के अनुसार कर्मचारियों के कल्याण हेतु निधियों में नियोक्ता के अंशदान की अनुमति

परिपत्र संख्या 22/2015 [एफ.सं.279/विविध/140/2015-आईटीजे], दिनांक 17-12-2015

अधिनियम की धारा 43ख के अनुसार कुछ कटौतियाँ केवल भुगतान के आधार पर ही स्वीकार्य हैं। बोर्ड ने पाया है कि कुछ क्षेत्रीय अधिकारी, अधिनियम की धारा 43ख के प्रावधानों का हवाला देकर, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि, ग्रेच्युटी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में नियोक्ता के अंशदान को अस्वीकार कर देते हैं, यदि इसका भुगतान संबंधित अधिनियमों के अनुसार 'देय तिथियों' के बाद किया गया हो।

2. इस मुद्दे पर न्यायिक निर्णयों के आलोक में मामले की जाँच की गई है। कमिश्नर बनाम अलोम एक्सट्रूज़न्स लिमिटेड, [2009] 185 टैक्समैन 416 (एससी) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 43ख में किए गए संशोधन, अर्थात दूसरे परंतुक को हटाना और पहले परंतुक में संशोधन, उपचारात्मक प्रकृति के होने के कारण, 1-4-1988 से पूर्वव्यापी रूप से लागू हैं। इसने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 43बी के दूसरे परंतुक को हटाकर और पहले परंतुक में संशोधन करके, कल्याण निधि में अंशदान को अन्य शुल्क, उपकर, फीस आदि के बराबर कर दिया गया है। इस प्रकार, यह परंतुक कल्याण निधि पर भी समान रूप से लागू होता है। इसलिए, नियोक्ता करदाता को कटौती की अनुमति है यदि वह आयकर रिटर्न दाखिल करने की 'निर्धारित तिथि' पर या उससे पहले कल्याण निधि में अंशदान जमा करता है।

3. तदनुसार, दिनांक 1.4.2013 से प्रभावी। 1.4.1988 के अनुसार, स्थापित स्थिति यह है कि यदि करदाता किसी भी कानून के तहत कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में देय कोई राशि, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है, या नियोक्ता के रूप में करदाता द्वारा किसी भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति निधि या ग्रेच्युटी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अंशदान के रूप में देय कोई राशि, अधिनियम की धारा 139(1) के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए उसके मामले में लागू 'नियत तिथि' पर या उससे पहले जमा करता है, तो अधिनियम की धारा 43ख के तहत कोई अस्वीकृति नहीं की जा सकती है।

4. मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, यह मुद्दा अच्छी तरह से सुलझा हुआ है। तदनुसार, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा अब से इस आधार पर कोई अपील दायर नहीं की जाएगी और न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के समक्ष इस आधार पर पहले से दायर अपील, यदि कोई हो, वापस ली जा सकती है/उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह परिपत्र कल्याण निधि में कर्मचारी के अंशदान से संबंधित कटौती के दावे पर लागू नहीं होगा, जो आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(va) द्वारा शासित है।

■■